UPBJ010023782022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06074

सेशन्स केस संख्या 294/2022

सरकार **बनाम** **कुलदीप**

आरोप

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्त **कुलदीप** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 05–08–2021 को समय 04–00 बजे वहद ग्राम तैययबपुर काजी थाना मण्डावर जिला बिजनौर में आपने वादी मुकदमा जयप्रकाश को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **323 सपठित 3(2)5क** एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा जयप्रकाश को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा जयप्रकाश को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **506 सपठित 3(2)5क** एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा जयप्रकाश को अपमानित करने के आशय से मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2024.06.05 16:54:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3(1)द एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा जयप्रकाश को मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा जयप्रकाश के मॉगने पर उसका ट्रैक्टर वापस मॉगे जाने पर वापस न करके आपराधिक न्यास भंग किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **406** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 04–06–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 04–06–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010023782022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 294/2022

सरकार बनाम कुलदीप

<u>04–06–2024</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्त **कुलदीप** जमानत पर मय विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त कुलदीप को परिवाद मामले में आहूत किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त कुलदीप के विरूद्व धारा 323 सपठित 3(2)5क, 406, 504, 506 सपठित 3(2)5क भा0द0स0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 04–06–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार कुलदीप के विरूद्व धारा 323 सपठित 3(2)5क, 406, 504, 506 सपठित 3(2)5क भा0द0स0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 16–07–2024 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 04–06–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।